3371

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
***

File No.- FFE-B-F(2)-3/2018, Dated: Shimla-171 002, the December, 2018

ORDER

Subject:- **Diversion of 0.1031 ha of forest land in favour of Nagar Panchayat Sarkaghat Distt. Mandi for construction of Car Parking at Sarkaghat, within th jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.**

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8बी/एच.पी. बी/09/96/2016/232, दिनांक 03.05.2018 के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 0.1031 हैक्टेयर वन भूमि को Nagar Panchayat Sarkaghat. District Mandi, Himachal Pradesh को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त धनराशि से वन विभाग द्वारा 160 वृक्षों का रोपण एवम् 7–10 वर्षों तक रख–रखाव किया जाएगा।
3. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
4. Nodal Officer-cum-Addl. PCCF (FCA). O/o Pr. CCF (HoFF). H.P. Shimla vide his letter No. Ft.48-3371/2016(FCA), dated 14th December, 2018 has informed that the conditions mentioned in the Government of India's approval Order No. 8बी/एच.पी. बी/09/96/2016/232, dated 03-05-2018 have been complied with.
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाएगी।
8. निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहं–जहां संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का Plantation किया जाएगा।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिए गए layout plan में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जाएगा।

SO(FCA) 27/12 APCCF(FCA) PCCF 26/12

10. कम से कम वृक्षों का कटान /पातन हो जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 16 trees से अधिक न हो।

11. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर.सी.सी. स्तंभ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।

12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रोजैक्ट के लिए सक्षम अधिकारी/प्राधिकरण से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी, यदि लागू है तो, लेना आवश्यक होगा।

13. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

14. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

15. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी ।

आदेश अनुसार,

राम सुभग सिंह
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदश सरकार,शिमला

Endst. No FFE-B-F(2)-3/2018 Dated: Shimla-171 002 the, 22, December, 2018
Copy is forwarded to the following:-

1. The Additional Director General of Forests (FC), MoEF&CC, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi –110003.
2. The Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Government of India, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Himachal Pradesh with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum-Addl. PCCF(FCA) O/o Pr. CCF (HoFF), Talland, Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, District Mandi, Himachal Pradesh.
6. The Divisional Forest Officer, Suket Forest Division, District Mandi, H.P.
7. The Executive Officer Nagar Panchayat, Sarkaghat, District Mandi, H.P
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 22-12-2018
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2621874

❖❖❖❖❖